WITWAVES
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
Vol-2 Issue-5
(International Peer-Reviewed E-Journal)
(May 2025)

कॉपीराइट कानून और डिजिटल मीडिया व्यवसाय

अनिल कुमार रावत
शोधार्थी

सारांश

डिजिटल क्रांति, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ओटीटी (OTT) प्लेटफ़ॉर्म, ई-पब्लिशिंग, ऑनलाइन समाचार पोर्टल, पॉडकास्ट, यूट्यूब, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा डिजिटल कंटेंट उद्योग के तीव्र विस्तार ने मीडिया व्यवसाय के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किए हैं। आज सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और संचार का अधिकांश भाग डिजिटल माध्यमों से संचालित हो रहा है। इस परिवर्तन के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों, विशेष रूप से कॉपीराइट (Copyright) की प्रासंगिकता अत्यधिक बढ़ गई है। डिजिटल माध्यमों में किसी भी साहित्यिक, कलात्मक, संगीत, चलचित्र, सॉफ्टवेयर, फोटोग्राफ, ग्राफिक्स अथवा ऑडियो-वीडियो सामग्री की प्रतिलिपि बनाना, साझा करना या संशोधित करना अत्यंत सरल हो गया है, जिसके कारण कॉपीराइट उल्लंघन, ऑनलाइन पायरेसी, डिजिटल चोरी और अनधिकृत वितरण जैसी समस्याएँ गंभीर रूप से उभरकर सामने आई हैं।

भारत में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 तथा कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 के माध्यम से रचनाकारों, कलाकारों, लेखकों, पत्रकारों, संगीतकारों, फिल्म निर्माताओं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तथा डिजिटल कंटेंट निर्माताओं को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO), TRIPS Agreement, तथा Berne Convention का सदस्य होने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कॉपीराइट संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

डिजिटल मीडिया व्यवसाय की सफलता का आधार मौलिक (Original) और गुणवत्तापूर्ण सामग्री है। यदि रचनाकारों को उनके कार्य का कानूनी संरक्षण न मिले, तो नवाचार, सृजनात्मकता तथा निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर अत्यधिक कठोर कॉपीराइट व्यवस्था सूचना की स्वतंत्रता, शिक्षा, शोध तथा सार्वजनिक हित को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए कॉपीराइट संरक्षण और सार्वजनिक हित के मध्य संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

यह शोध पत्र कॉपीराइट कानून की अवधारणा, भारत में इसकी कानूनी व्यवस्था, डिजिटल मीडिया व्यवसाय में इसकी भूमिका, ऑनलाइन कॉपीराइट उल्लंघन, डिजिटल अधिकार प्रबंधन

(DRM), कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, प्रमुख न्यायिक निर्णय, चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

बीज-शब्द
कॉपीराइट, डिजिटल मीडिया, बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपीराइट अधिनियम 1957, डिजिटल पायरेसी, OTT, सोशल मीडिया, WIPO, TRIPS, डिजिटल अधिकार प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता।

1. प्रस्तावना

डिजिटल युग में सूचना और संचार तकनीक ने मीडिया उद्योग को नई दिशा प्रदान की है। समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलीविजन तथा फिल्म उद्योग अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उपलब्ध हैं। आज लाखों लोग प्रतिदिन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर), ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, पॉडकास्ट तथा ब्लॉग के माध्यम से सामग्री का निर्माण एवं उपभोग कर रहे हैं।

डिजिटल माध्यमों में किसी भी सामग्री की प्रतिलिपि कुछ ही सेकंड में तैयार की जा सकती है। इससे रचनाकारों के आर्थिक एवं नैतिक अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इसी उद्देश्य से कॉपीराइट कानून रचनात्मक कार्यों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 रचनाकारों को उनकी मौलिक कृतियों पर विशेष अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 2012 के संशोधन ने डिजिटल तकनीक, इंटरनेट, कलाकारों के अधिकार तथा अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप कानून को आधुनिक बनाया। वर्तमान समय में डिजिटल मीडिया व्यवसाय के सतत विकास के लिए प्रभावी कॉपीराइट संरक्षण अनिवार्य है।

2. शोध के उद्देश्य

1. कॉपीराइट की अवधारणा एवं स्वरूप का अध्ययन करना।
2. भारत में कॉपीराइट कानून के विकास का विश्लेषण करना।
3. डिजिटल मीडिया व्यवसाय में कॉपीराइट की भूमिका का मूल्यांकन करना।
4. डिजिटल पायरेसी एवं ऑनलाइन उल्लंघन की चुनौतियों का अध्ययन करना।
5. सोशल मीडिया, OTT तथा AI के संदर्भ में कॉपीराइट संबंधी मुद्दों का विश्लेषण करना।
6. प्रमुख न्यायिक निर्णयों का अध्ययन करना।

7. भविष्य के सुधारों हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध-विधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) शोध पद्धति पर आधारित है।

प्राथमिक स्रोत

कॉपीराइट अधिनियम, 1957

कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012

भारतीय न्यायालयों के निर्णय

भारत सरकार की अधिसूचनाएँ

द्वितीयक स्रोत

WIPO की रिपोर्टें

WTO-TRIPS दस्तावेज

Berne Convention

पुस्तकें

शोध पत्र

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नल

डिजिटल मीडिया उद्योग की रिपोर्टें

4. कॉपीराइट की अवधारणा

कॉपीराइट वह कानूनी अधिकार है जो किसी रचनाकार को उसकी मौलिक कृति पर प्राप्त होता है। यह अधिकार उसे अपनी कृति की प्रतिलिपि बनाने, प्रकाशित करने, वितरित करने, अनुवाद करने, रूपांतरण करने तथा सार्वजनिक प्रदर्शन का विशेषाधिकार प्रदान करता है।

कॉपीराइट द्वारा संरक्षित कृतियाँ

साहित्यिक कृतियाँ

नाट्य कृतियाँ

संगीत कृतियाँ

कलात्मक कृतियाँ

चलचित्र

ध्वनि रिकॉर्डिंग
कंप्यूटर प्रोग्राम एवं सॉफ्टवेयर
डिजिटल कंटेंट
फोटोग्राफी
डेटाबेस (निर्धारित परिस्थितियों में)

5. भारत में कॉपीराइट कानून का विकास

भारत में कॉपीराइट संबंधी विधिक व्यवस्था का प्रमुख आधार कॉपीराइट अधिनियम, 1957 है।
प्रमुख विशेषताएँ
मौलिक कृतियों का संरक्षण
आर्थिक एवं नैतिक अधिकार
कॉपीराइट की अवधि
लाइसेंस एवं हस्तांतरण
उल्लंघन पर सिविल एवं आपराधिक उपचार
डिजिटल अधिकारों का संरक्षण (2012 संशोधन)

6. डिजिटल मीडिया व्यवसाय में कॉपीराइट का महत्व

(1) रचनाकारों की आय का संरक्षण
कॉपीराइट से लेखक, पत्रकार, कलाकार, संगीतकार तथा फिल्म निर्माता अपनी रचनाओं से उचित आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं।

(2) नवाचार को प्रोत्साहन
कानूनी सुरक्षा मिलने से नई सामग्री के निर्माण को बढ़ावा मिलता है।

(3) निवेश आकर्षण
मीडिया कंपनियाँ सुरक्षित बौद्धिक संपदा के कारण अधिक निवेश प्राप्त कर सकती हैं।

(4) ब्रांड मूल्य में वृद्धि
मौलिक और सुरक्षित सामग्री मीडिया संस्थानों की विश्वसनीयता बढ़ाती है।

(5) डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास

कॉपीराइट संरक्षण ई-पब्लिशिंग, OTT, गेमिंग, ई-लर्निंग और डिजिटल विज्ञापन उद्योग को मजबूती प्रदान करता है।

7. डिजिटल पायरेसी एवं कॉपीराइट उल्लंघन

डिजिटल माध्यमों में निम्न प्रकार के उल्लंघन सामान्य हैं—

फिल्मों की अवैध डाउनलोडिंग
संगीत की अनधिकृत प्रतिलिपि
ई-पुस्तकों की पायरेसी
सॉफ्टवेयर पायरेसी
समाचार सामग्री की चोरी
यूट्यूब वीडियो की बिना अनुमति पुनः अपलोडिंग
सोशल मीडिया पर बिना अनुमति सामग्री साझा करना

प्रभाव

रचनाकारों को आर्थिक हानि
निवेश में कमी
रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव
नवाचार में कमी
सरकार के राजस्व का नुकसान

8. डिजिटल अधिकार प्रबंधन

DRM ऐसी तकनीकी व्यवस्था है जो डिजिटल सामग्री की अनधिकृत प्रतिलिपि, डाउनलोडिंग और वितरण को नियंत्रित करती है।

लाभ

सामग्री की सुरक्षा
लाइसेंस नियंत्रण
ऑनलाइन वितरण पर निगरानी
व्यावसायिक हितों का संरक्षण

9. सोशल मीडिया, OTT और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

सोशल मीडिया

उपयोगकर्ता-निर्मित सामग्री (UGC)
कॉपीराइट उल्लंघन की संभावना
टेकडाउन (Takedown) प्रक्रिया का महत्व
OTT प्लेटफ़ॉर्म
लाइसेंस आधारित सामग्री वितरण
डिजिटल अधिकारों का प्रबंधन
क्षेत्रीय (Geographical) लाइसेंसिंग
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
AI द्वारा निर्मित सामग्री के स्वामित्व पर विवाद
प्रशिक्षण डेटा में कॉपीराइट सामग्री का उपयोग
भविष्य में नए विधिक ढाँचे की आवश्यकता

10. भारत के प्रमुख न्यायिक निर्णय

1. R.G. Anand v. Deluxe Films (1978)
विचार (Idea) और अभिव्यक्ति (Expression) के बीच अंतर स्पष्ट किया गया।

2. Eastern Book Company v. D.B. Modak (2008)
मौलिकता (Originality) के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया।

3. Super Cassettes Industries Ltd. v. MySpace Inc.
ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की उत्तरदायित्व सीमा पर महत्वपूर्ण निर्णय।

4. India TV Independent News Service Pvt. Ltd. v. Yashraj Films Pvt. Ltd.
समाचार एवं कॉपीराइट के संतुलन पर महत्वपूर्ण टिप्पणी।

11. प्रमुख चुनौतियाँ

ऑनलाइन पायरेसी
सीमा-पार उल्लंघन
AI आधारित सामग्री
डिजिटल प्रवर्तन की कठिनाइयाँ
कॉपीराइट जागरूकता का अभाव
सोशल मीडिया पर अनधिकृत सामग्री साझा करना

त्वरित न्यायिक समाधान का अभाव

12. सुधार हेतु सुझाव

1. कॉपीराइट कानून को AI एवं नई डिजिटल तकनीकों के अनुरूप अद्यतन किया जाए।
2. डिजिटल पायरेसी रोकने के लिए प्रभावी तकनीकी तंत्र विकसित किए जाएँ।
3. मीडिया संस्थानों एवं कंटेंट निर्माताओं को कॉपीराइट संबंधी प्रशिक्षण दिया जाए।
4. ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर त्वरित टेकडाउन व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए।
5. कॉपीराइट विवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष न्यायिक तंत्र विकसित किया जाए।
6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जाए।
7. जन-जागरूकता अभियान चलाकर मौलिक सामग्री के सम्मान को बढ़ावा दिया जाए।

13. डिजिटल अर्थव्यवस्था में कॉपीराइट का योगदान

रचनात्मक उद्योगों का विकास
रोजगार सृजन
विदेशी निवेश
डिजिटल स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन
सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि

निष्कर्ष

डिजिटल युग में कॉपीराइट कानून केवल रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डिजिटल मीडिया उद्योग की आर्थिक स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालिक विकास का आधार भी है। प्रभावी कॉपीराइट संरक्षण से लेखक, पत्रकार, कलाकार, फिल्म निर्माता, संगीतकार, सॉफ्टवेयर डेवलपर तथा डिजिटल कंटेंट निर्माता अपनी रचनात्मकता का उचित प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण सामग्री के सृजन को निरंतर प्रोत्साहन मिलता है।

भारत का कॉपीराइट अधिनियम, 1957 तथा 2012 का संशोधन डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बावजूद ऑनलाइन पायरेसी, सोशल मीडिया पर सामग्री का अनधिकृत उपयोग, OTT प्लेटफ़ॉर्म, सीमा-पार उल्लंघन

तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से उत्पन्न नई चुनौतियाँ कानून और नीति-निर्माताओं के समक्ष गंभीर प्रश्न प्रस्तुत करती हैं।

भविष्य में एक संतुलित, तकनीक-सक्षम, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कॉपीराइट व्यवस्था भारतीय डिजिटल मीडिया व्यवसाय को सुदृढ़ बनाएगी, निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करेगी तथा रचनात्मक उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता करेगी। साथ ही, रचनाकारों के अधिकारों और समाज के व्यापक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना सतत एवं समावेशी डिजिटल विकास की कुंजी होगा।

संदर्भ सूची

1. कॉपीराइट अधिनियम, 1957।
2. कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012।
3. World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO Copyright Treaty (WCT).
4. World Trade Organization (WTO). TRIPS Agreement.
5. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
6. Ministry of Commerce and Industry, Government of India.
7. Narayanan, P. Intellectual Property Law.
8. V.K. Ahuja. Law Relating to Intellectual Property Rights.
9. B.L. Wadhera. Law Relating to Copyright, Trademarks and Patents.
10. R.G. Anand v. Deluxe Films, (1978).
11. Eastern Book Company v. D.B. Modak, (2008).
12. Super Cassettes Industries Ltd. v. MySpace Inc.
13. India TV Independent News Service Pvt. Ltd. v. Yashraj Films Pvt. Ltd.
14. विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र, जर्नल तथा डिजिटल मीडिया उद्योग की रिपोर्टें।